

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल: rmhc.supply2@gmail.com

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmhc.health.rajasthan.gov.in

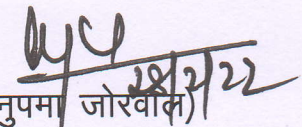
क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2021 345/दिनांक : 28/2/2022

कार्यालय आदेश

M/s Ind-Swift Ltd, Plot No. 781, Industrial Area, Phase-2, Chandigarh-160002 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(271)/RMHC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-13/2019 /1127 दिनांक 15.10.2019 के तहत औषधि Cetirizine, Phenylephrine & Paracetamol Tablets (code no. 498) के क्रयादेश क्रमांक 1265 दिनांक 20.07.2021 के द्वारा 14580000 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 310 दिनांक 06.05.2021 के द्वारा 13120000 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 2313 दिनांक 28.12.2020 के द्वारा 10320000 मात्रा 60 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध शून्य/आंशिक आपूर्ति करने पर पत्रांक 1902 दिनांक 04.10.2021 द्वारा नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 20.01.2022 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की शून्य/आंशिक मात्रा आपूर्ति की गई हैं, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति पत्र दिनांक 16.02.2022 की अनुशंषा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Ind-Swift Ltd, Plot No. 781, Industrial Area, Phase-2, Chandigarh-160002 को औषधि Cetirizine, Phenylephrine & Paracetamol Tablets (code no. 498) हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।


 (अनुपमा जोरवादे)
 आई.ए.एस.
 प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2021 3451

दिनांक : 28/2/2022

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/पंजाब।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s Ind-Swift Ltd, Plot No. 781, Industrial Area, Phase-2, Chandigarh-160002
13. गार्ड फाईल।

4
विशेषाधिकारी
आर.एम.एस.सी.